



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-29012026-269637
CG-HR-E-29012026-269637

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2026/माघ 7, 1947

No. 60]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2026/MAGHA 7, 1947

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 5 जनवरी, 2026

(उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच एवं लोकपाल) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025

सं. जेईआरसी- 31/2024.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उप- धारा (2) के अनुच्छेद (आर (r) और एस(s)) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिसे धारा 42 की उप- धारा (5) और (8) के साथ पढ़ा जाए और इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाले अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के बाद, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग ("जेईआरसी"/ "JERC") एतद् द्वारा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) सीजीआरएफ एवं लोकपाल विनियम 2024 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

अध्याय-I

संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, विस्तार, परिभाषाएं और व्याख्या

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ-

i) इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

- ii) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
- iii) ये विनियम पूरे गोवा राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होंगे।
- iv) इन विनियमों के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करणों में अंतर होने पर, इनका अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

2. मुख्य विनियम के नियम 6 ए (6 (A)) में संशोधन:

- i) मुख्य विनियम के नियम 6 ए (6 (A)) के मुख्य शीर्षक को इस प्रकार बदला जाएगा;
“सीजीआरएफ (CGRF) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति”

- ii) मुख्य विनियमों के नियम 6(A)(1)(b)(ii) में संशोधन:

मुख्य विनियम के नियम 6(A)(1)(b)(ii) को इस प्रकार बदला जाएगा:

“(ii) सदस्य (उपभोक्ता/ उत्पादक- उपभोक्ता (प्रोज्यूसर्स)): ऐसा व्यक्ति जो काबिल, ईमानदार और प्रतिष्ठित हो, उसके पास स्नातक की डिग्री हो और अभियांत्रिकी/ वित्त/ वाणिज्य/ अर्थशास्त्र/ विधि/ प्रबंधन आदि से संबंधित समस्याओं से निपटने का पर्याप्त ज्ञान और क्षमता हो और जिसके पास उद्योग/ वाणिज्य के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का कार्यानुभव हो।”

- iii) मुख्य विनियमों के नियम 6(A)(2) के बाद निम्नलिखित उप-नियमों को जोड़ा जाएगा:

- i) “सदस्य (उपभोक्ता/ उत्पादक- उपभोक्ता (प्रोज्यूसर्स)) की नियुक्ति के उद्देश्य से वितरण लाइसेंसधारी कम- से- कम दो अखबारों, वितरण लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर सार्वजनिक विज्ञापन देकर सदस्य (उपभोक्ता/ उत्पादक- उपभोक्ता (प्रोज्यूसर्स)) की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करेगा,
- ii) वितरण लाइसेंसधारी सदस्य (उपभोक्ता/ उत्पादक- उपभोक्ता (प्रोज्यूसर्स)) के चयन हेतु चयन समिति बनाएगा,
- iii) चयन समिति अंतिम चयन हेतु आयोग को 3 सदस्यों वाले एक पैनल की अनुशंसा करेगी।”

3. मुख्य विनियम के नियम 10 में संशोधन:

मुख्य विनियम के नियम 10 में निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाएगा:

“बराबर मत मिलने की स्थिति में” इन शब्दों से पहले “प्रत्येक सदस्य को मतदान का अधिकार होगा और” को जोड़ा जाएगा।

4. मुख्य विनियम के नियम 12 में संशोधन:

मुख्य विनियम के नियम 12 में निम्नलिखित उप-नियम शामिल किए जाएंगे:

“(5) सीजीआरएफ (CGRF) के स्वतंत्र सदस्य और सदस्य (उपभोक्ता/ उत्पादक- उपभोक्ता (प्रोज्यूसर्स)) को एक कैलेंडर वर्ष में 08 दिन का आकस्मिक अवकाश और 10 दिनों का चिकित्सा अवकाश मिलेगा।”

“(6) स्वतंत्र सदस्य और सदस्य (उपभोक्ता/ उत्पादक- उपभोक्ता (प्रोज्यूसर्स)) हर महीने 10,000/- रु. के निश्चित परिवहन भत्ते का हकदार होगा।”

5. मुख्य विनियम के नियम 19 में संशोधन:

मुख्य विनियम के नियम 19 (2) में निम्नलिखित शब्दों को बदला जाएगा:

“यदि कुछ लिखित में हो तो” शब्दों के बाद “10 दिनों” शब्दों को “15 दिनों” शब्द से बदल दिया जाएगा।

6. मुख्य विनियम के नियम 21 में संशोधन:

मुख्य विनियम के नियम 21 (1) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

“ शिकायतों में नामित” शब्द के बाद “अनुच्छेद-1- भाग 1 नियम 3(ए) और 3(बी)” शब्द डाले जाएंगे।

7. मुख्य विनियम के नियम 27 में संशोधन:

मुख्य विनियमों के नियम 27 में निम्नलिखित शब्दों को बदला जाएगा:

शब्द “ऐसे शुल्क” को “शुल्क के रूप में ₹ 10 / पृष्ठ” शब्दों से बदला जाएगा।

8. मुख्य विनियम के नियम 48 (3) में संशोधन:

मुख्य विनियम के नियम 48 के उपनियम (3) में निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएगी:

“इन नियमों को लागू किए जाने से पूर्व नियुक्त किए गए लोकपाल, अध्यक्ष (सीजीआरएफ/CGRF) और सीजीआरएफ के दूसरे सदस्य, इन विनियमों के तहत समेकित वेतन एवं नियमों और शर्तों का चयन कर सकते हैं।”

9. मुख्य विनियम के अनुच्छेद- I (समयसीमा) में संशोधन:

- (i) भाग- I, क्रम सं. 2, स्तंभ 3 में “उसी दिन”, “अगले दिन तक”, “अगले दिन तक” शब्दों के स्थान पर “उपभोक्ता से शिकायत मिलने के 7 दिनों के भीतर” शब्द लिखा जाएगा। तालिका के स्तंभ 3 में बताए गए शिकायत की पुष्टि हेतु नई समयसीमा नीचे दी गई है;

क्र. सं.	की जाने वाली कार्रवाई का विवरण	निर्धारित समय-सीमा	अवधि शुरू होने का समय
भाग-I	मंच के समक्ष शिकायतें/ अभ्यावेदन		
2	शिकायत मिलने की पुष्टि- (क) जब व्यक्तिगत रूप से की जाए (ख) जब डाक, ईमेल या फैक्स से मिले (ग) जब शिकायत प्राप्त करने वाले केंद्रों से मिली हो	उपभोक्ता की शिकायत मिलने के 7 दिनों के भीतर	मंच को शिकायत मिलने पर

- (ii) भाग I, क्रम. सं. 6, स्तंभ 3 में “45 दिन” शब्द के स्थान पर “60 दिन” लिखा जाएगा। तालिका के स्तंभ 3 में बताए गए अनुसार, मंच द्वारा अन्य मामलों में क्रम बनाने हेतु नई समयसीमा इस प्रकार होगी—

क्र. सं.	की जाने वाली कार्रवाई का विवरण	निर्धारित समय-सीमा	अवधि शुरू होने का समय
भाग-I	मंच के समक्ष शिकायतें/ अभ्यावेदन		
6	मंच द्वारा आदेश जारी करना- (क) आपूर्ति दिए या रोके जाने के मामलों में। (ख) अन्य मामलों में	15 दिन 60 दिन	शिकायत मिलने की तिथि से।

(iii) मुख्य विनियम के अनुच्छेद- I (समयसीमा), भाग II में संशोधन:

भाग II, क्रम. सं. 3, स्तंभ 3 में “30 दिन” शब्द की जगह “07 दिन” शब्द लिखा जाएगा। तालिका के स्तंभ सं. 3 में बताए अनुसार, जहां शिकायत का निपटारा लोकपाल द्वारा मध्यस्थता या सुलह से नहीं होता है, वहाँ अभ्यावेदन के पंजीकरण हेतु नई समयसीमा नीचे दी गई है;

क्र. सं.	की जाने वाली कार्रवाई का विवरण	निर्धारित समय-सीमा	अवधि शुरू होने का समय
----------	--------------------------------	--------------------	-----------------------

भाग-II			
3	अभ्यावेदन का पंजीकरण क) जहां लोकपाल द्वारा मध्यस्थता या सुलह से शिकायत का निपटारा नहीं होता है वहाँ अभ्यावेदन का पंजीकरण।	7 दिन	लोकपाल द्वारा प अभ्यावेदन मिलने की तिथि से।

(iv) भाग II, क्रम. सं. 3, स्तंभ 3 में “07 दिन” शब्द के स्थान पर “15 दिन” शब्द लिखा जाएगा। तालिका के स्तंभ सं. 3 में बताई गई मंच द्वारा रिकॉर्ड भेजने की नई समयसीमा नीचे दी गई है;

क्र. सं.	की जाने वाली कार्रवाई का विवरण	निर्धारित समय-सीमा	अवधि शुरू होने का समय
भाग -II	अभ्यावेदन का पंजीकरण		
3	अभ्यावेदन का पंजीकरण ग) मंच द्वारा रिकॉर्ड भेजना	15 दिन	लोकपाल से नोटिस मिलने की तिथि से।

(v) भाग II, क्र. सं. 4, स्तंभ 3 में “90 दिन” शब्दों के स्थान पर “3 माह” शब्द लिखा जाएगा। तालिका के स्तंभ सं. 3 में बताए गए लोकपाल के आदेशों हेतु नई समयसीमा नीचे दी गई है;

क्र. सं.	की जाने वाली कार्रवाई का विवरण	निर्धारित समय-सीमा	अवधि शुरू होने का समय
भाग-II			
4	लोकपाल के आदेश	3 माह	अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से

राजेश डांगी, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./635/2025-26]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**(For the State of Goa & UTs)****NOTIFICATION**

Gurugram, the, 5th January, 2026

No. JERC-31/2024.—In exercise of the powers conferred on it under clauses (r) and (s) of sub-section (2) of section 181, read with sub-sections (5) to (8) of section 42, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission (“JERC”) hereby makes the following amendments in Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) CGRF and Ombudsman Regulations, 2024.

1. Short title, extent and commencement. –

- i) These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) (First Amendment) Regulations, 2025.
- ii) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- iii) These Regulations shall extend to the whole of the State of Goa and Union Territories namely Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep, Puducherry.
- iv) In case of variance between English and Hindi versions of these Regulations, English version shall prevail.

2. Amendment to Regulation 6 A of the Principal Regulations:

- i) The main heading of Regulation 6(A) of the Principal Regulations shall be substituted as under;

“Appointment of Chairperson and Members of CGRF”

- ii) **Amendment to Regulation 6(A)(1)(b)(ii) of the Principal Regulations:**

The Regulation 6(A)(1)(b)(ii) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(ii) Member (Consumer/Prosumers): An individual shall be person of ability, integrity and standing who has bachelor degree and having adequate knowledge of, and have shown capacity in, dealing with problems relating to engineering/finance/commerce/economics/law/Management etc. having minimum 10 years of experience in industries/commerce.”

- iii) **Following sub-clauses shall be added after Regulation 6(A)(2) of the Principal Regulations:**

- i) **“The Distribution Licensee for the purpose of appointment of Member (Consumer/Prosumer) shall invite applications through public advertisement in at least two Newspapers, website of Distribution Licensee for the appointment of the Member (Consumer/Prosumer),**
- ii) **The Distribution Licensee shall form a Selection Committee for the selection of the Member (Consumer/Prosumer),**
- iii) **The Selection Committee shall recommend a panel of 3 persons to the Commission for final selection.”**

3. Amendment to Regulation 10 of the Principal Regulations:

Following words shall be inserted in Regulation 10 of the principal Regulations:

“Every member shall have right to vote and” before the words “in case of equality”**4. Amendment to Regulation 12 of the Principal Regulations:**

Following clauses shall be added in Regulation 12 of the Principal Regulations:

“(5) The Independent Member and Member (Consumer/Prosumer) of CGRF shall be entitled to 08 days casual leave and 10 days Medical leave in a calendar year.”

“(6) The Independent Member and Member (Consumer/Prosumer) shall be entitled for fixed Transport Allowance of Rs. 10000/- per month.”

5. Amendment to Regulation 19 of the Principal Regulations:

Following words shall be substituted in Regulation 19 (2) of the Principal Regulations:

The words “10 days” shall be substituted with words “**15 days**” after the words “if any in writing within”

6. Amendment to Regulation 21 of the Principal Regulations:

Following shall be inserted to Regulation 21 (1) of the principal Regulations:

“The words “**as per Annexure-1-part 1 Clause 3(a) & 3(b)**” shall be inserted after the words “named in the grievances.”

7. Amendment to Regulation 27 of the Principal Regulations:

Following words shall be substituted in Regulation 27 of the principal Regulations:

The words “such fee” shall be substituted with words “**₹ 10 / page as fee**”.

8. Amendment to Regulation 48 (3) of the Principal Regulations:

Following proviso shall be added in clause (3) of the Regulation 48 of the Principal Regulations:

“**Provided that the Ombudsman, Chairperson (CGRF) and other Members of the CGRF appointed, before the commencement of these Regulations, may opt for the consolidated salary and terms and conditions under these Regulations.**”

9. Amendment to Annexure-I (Timelines), of the Principal Regulations:

- (i) The words “On same day”, “By the next day”, “By the next day” shall be substituted with words “**Within 7 days of receipt of consumer grievance**” at Part I, Serial No 2, Column 3. The new Timelines for acknowledge of receipt of complaint as specified at Column No. 3 of the table shall be as shown below;

Timelines for acknowledge of receipt of complaint as specified at Column No. 3 of the table shall be as shown below;

S. No.	Description of action to be taken	Timelines specified	Time from which period begins	
PART-I	Complaints/representations before the Forum			
2	Acknowledge of receipt of complaint- (a) When presented in person (b) When received by post, email or fax. (c) When received through the Complaint Receiving Centers	Within 7 days of receipt of consumer grievance	On the receipt of the complaint by the Forum	

- (ii) The words “45 days” shall be substituted with words “**60 days**” at Part I, Serial No 6, Column 3. The new Timelines for making of Orders in other case by the Forum as specified at Column No. 3 of the table shall be as shown under;

S. No.	Description of action to be taken	Timelines specified	Time from which period begins
PART-I	Complaints/representations before the Forum		
6	Making of Orders by the Forum- (क) In cases of connection or disconnection of supply. (ख) In other case	15 days 60 days	From the date of receipt of the complaint.

(iii) Amendment to Annexure-I (Timelines), Part II of the Principal Regulations:

The words “30 days” shall be substituted with words “**07 days**” at Part II, Serial No 3, Column 3. The new Timelines for registration of representation where the grievance is not settled by mediation or conciliation by the Ombudsman as specified at Column No. 3 of the table shall be as shown below;

S.No.	Description of action to be taken	Timelines specified	Time from which period begins
PART-II			
3	Registration of Representation a) Registration of representation where the grievance is not settled by mediation or conciliation by the Ombudsman.	7 days	From the date of receipt of the representation by the Ombudsman.

(iv) The words “07 days” shall be substituted with words “**15 days**” at Part II, Serial No 3, Column 3. The new Time lines for sending the record by the Forum as specified at Column No. 3 of the table shall be as shown below;

S.No.	Description of action to be taken	Timelines specified	Time from which period begins
PART-II	Registration of Representation		
3	Registration of Representation c) Sending of record by the Forum	15 days	From the date of receipt of the notice from the Ombudsman.

(v) The words “90 days” shall be substituted with words “**3 months**” at Part II, Serial No 4, Column 3. The new Timelines for orders of the Ombudsman as specified at Column No. 3 of the table shall be as shown below;

S.No.	Description of action to be taken	Timelines specified	Time from which period begins
PART-II			
4	Orders of the Ombudsman	3 months	From the date of receipt of the representation.

RAJESH DANGI, Secy. (I/c)

[ADVT.-III/4/Exty./635/2025-26]